



भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो,  
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय, रायपुर  
द्वितीय तल, जी० एस० आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,  
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)  
फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590/95 ई-मेल: [ro.raipur@ibm.gov.in](mailto:ro.raipur@ibm.gov.in)



संख्या: CHG/DRG/LST-34/NGP

खान कोड- 38MPR13031

दिनांक:-29.09.2023

**प्रेषिति-**

श्री भक्तु लाल रमणी, पट्टेदार,  
मकान न.399, सिन्धी कॉलोनी,  
स्टेशन रोड, पोस्ट एवं जिला-दुर्ग,  
छत्तीसगढ़-491001  
ई-मेल: - [blramani7@gmail.com](mailto:blramani7@gmail.com)

**विषय :** छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में स्थित आपके नंदिनी खुन्दिनी चुनापथर खदान 3.525 हैक्टर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 एवं 2021 के नियमों के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 28.06.2023 को इस कार्यालय के श्री प्रशान्त कुमार साहू, सहायक खनन अभियंता द्वारा श्री भक्तु लाल रमणी, पट्टेदार एवं डॉ. मनोज कुमार, भू-विज्ञानी कि उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के उपरांत पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण विकास नियमावली 2017 (संशोधित) के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन किया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
11(1)	The Mining operations required to be carried out in accordance with the Mining Plan approved, modified or reviewed by the Indian Bureau of Mines. However, mining operations have not been found carried out in accordance with the Review of Mining Plan (RMP) approved dated 30.12.2019 to the extent indicated below; i. During the year 2022-23, it was proposed to carry out plantation of 100 nos. plants, whereas only 20 nos. of plants reported planted during the year 2022-23. ii. During the year 2019-20 and 2022-23; there was a proposal for backfilling at 7.5 meter barrier zone along lease boundary all around the lease. Whereas, such backfilling has not been found carried out as envisaged.
26 (2)	A yearly report setting forth the extent of protective and rehabilitative works carried out as envisaged in the approved mine closure plan, ought to be submitted before the 1st day of July each year for the preceding financial year, has not been submitted so far for the year 2022-23.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 एवं संशोधित नियमावली 2021 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 एवं संशोधित नियमावली 2021 के नियम 11(2) एवं 62 के अंतर्गत ।

(क) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघन 11(1) एवं 26(2) का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से **45** दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय,

(दीपक चिंचखेडे)  
सहायक खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :- (ईमेल द्वारा)

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर-440001
2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, अटल नगर, छत्तीसगढ़।

सहायक खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो